पत्र संख्या-स्था-1-विधान मण्डल सत्र-2021/ 2873 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 15 दिसम्बर, 2021

-:आदेश:-

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल का वर्ष 2021 का चतुर्थ सत्र दिनांक 15-12-2021 से प्रारम्भ हो रहा है। शासन के पत्र संख्या 1361/11-3-2021-159/15 टी0सी0 राज्य कर अनुभाग-3, दिनांक 14-12-2021 में निर्देशित विषयों के दृष्टिगत विधान सभा/विधान परिषद में चर्चा के लिये निर्धारित तिथि/समय पर विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक है ताकि यदि किसी सूचना की आवश्यकता हो तो उसे तत्काल उपलब्ध कराया जा सके तथा सदन की कार्यवाही अविरल गति से चल सके।

2- उपरोक्तानुसार कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित करने के लिये कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश द्वारा निम्न प्रकार नोडल अधिकारी नामित किए गये है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	विधान भवन के नाम	कार्यालय का पता	दूरभाष/ मो0नं0
1	श्री रवि राज प्रताप मल्ल, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर लखनऊ सम्भाग-ए लखनऊ	विधान सभा	कार्यालय एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर लखनऊ जोन प्रथम लखनऊ	9415314162
2	श्री देव मणि शर्मा, ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स ऑडिट) वाणिज्य कर लखनऊ जोन प्रथम लखनऊ	विधान परिषद	कार्यालय एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर लखनऊ जोन प्रथम लखनऊ	7235002910

3- मा0 विधान सभा / विधान परिषद सचिवालय द्वारा जो कार्य स्थगन / औचित्य के प्रश्न आदि से सम्बंधित सूचनाएं / विषय से सम्बन्धित कर एवं निबन्धन विभाग की सूचनाओं का उत्तर उसी दिन नोडल अधिकारी को समयान्तर्गत उपलब्ध करायी जाये,ताकि उनके द्वारा सदन में शासन का पक्ष समुचित रुप से प्रस्तुत किया जा सके और शासन को सदन में असमंजस की स्थिति का सामना न करना पड़े।

4- उपर्युक्त नोडल अधिकारी मा0 विधान मण्डल के दोनों सदनों के प्रत्येक उपवेशन मे समय पर प्रास बनवाकर सदन की अधिकारी दीर्घा में उपस्थित रहकर उपर्युक्त कार्य सम्पन्न करेंगे तथा जीरो डिले के आधार पर सूचना उपलब्ध करायेंगे और सम्बन्धित विभाग का कोई प्रश्न हो उसकी दूरभाष पर यदि कोई महत्वपूर्ण अथवा जो भी निर्णय हुआ हो,उसकी भी सूचना अपर मुख्य सचिव, राज्य कर उ0प्र0शासन एवं कमिश्नर,वाणिज्य कर को देंगे।

5- मा0विधान मण्डल सत्र के दौरान लखनऊ से बाहर तथा मुख्यालय पर कोई बैठक आयोजित नही करेंगे तथा इस अवधि में कोई अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय से बाहर न जाये और यदि अपरिहार्य कारणों से बाहर जाना हो तो सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किए जाने के उपरान्त ही मुख्यालय छोड़कर बाहर जायेंगे।

क्रमशः2

6- दोनो सदनों में विभागीय अधिकारी त्रुटिरहित सूचना उपलब्ध करायेंगे। विभागीय अधिकारियों का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि विधानमण्डल के दोनों सदनों में विधेयकों के प्रस्तुत होने की तिथि से पूर्व विचार एवं पारण हेतु नियत तिथि से पूर्व अपने विभागीय मंत्री जी, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी एवं मा0 नेता सदन, विधान परिषद को ब्रीफ कर दें ताकि किसी असुविधाजनक स्थिति का सामना न करना पड़े, और सदन में सरकार का पक्ष प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सके ।

ह0/-
(मिनिस्ती एस0)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृ0पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, राज्य कर (अनुभाग-3) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
2- विशेष सचिव राज्य कर उ0प्र0 शासन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिकारियों के विधान सभा सचिवालय पास बनवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3- समस्त एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
4- समस्त नोडल अधिकारियों को अनुपालनार्थ ।
5- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अवधि मे किसी अधिकारी/कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत न किया जाये न ही स्वीकृति हेतु मुख्यालय को संस्तुति की जाए ।
6- समस्त अनुभाग प्रभारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ ।
7- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर उक्त आदेश प्रदर्शित किये जाने हेतु।
8- डाटा इन्ट्री आपरेटर (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) वाणिज्य कर मुख्यालय।

14/12/21
(राजेश प्रताप सिंह चन्देल)
ज्वाइंट कमिश्नर, (स्थापना) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।